

## फॉर्म – IX

### क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग

आवेदन पत्र संख्या .....

सेवा में,

महोदय,

मुझे बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य सेवा आयोग में आरक्षण से सम्बन्धित अन्य पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र देने की कृपा की जाय।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-

2. जन्म तिथि :-

3. आवासीय पता :- (पूर्ण)

(क) स्थाई - वार्ड नं० :-

ग्राम/मुहल्ला :-

थाना :-

(ख) अस्थाई- वार्ड नं० :-

ग्राम/मुहल्ला :-

थाना :-

सर्किल नं० :-

हो० नं० :-

पोस्ट :-

जिला :-

प्रखण्ड :-

हो० नं० :-

पोस्ट :-

जिला :-

4. धर्म :

5. जाति :-

6. उप-जाति :-

7. पेशा :-

8. बिहार की सूची में पिछड़ी जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति का क्रमांक सं० :-

9. पिता का नाम एवं जाति :-

10. माता का नाम :-

11. पति का नाम :-

12. अभिभावक/पिता/पति/की स्थिति

पिता

माता

पति

(क) (1) संवैधनिक पद

(2) पदनाम :-

(i) सरकारी सेवा (केन्द्र/राज्य)

(ii) पदनाम :-

(ii) वेतनमान :-

(iv) नियुक्ति की तिथि :-

(v) उम्र प्रथम श्रेणी में प्रोन्ति के समय (अगर लागू हो) :-

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे- सूनिसेफ/यू०एन०/डब्लू०एच०ओ०

(1) संगठन का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) सेवा का समय तिथि ..... से ..... तक ।

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :-

(1) संगठन/फर्म का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) नियुक्ति की तिथि :-

(घ) आर्म्स फोर्स/पारा मिलिट्री के लिए :-

(1) पदनाम :-

(2) वेतनमान :-

(ङ) व्यवसायों के लिए :-

पिता

माता

पत्नी

(1) पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण

पिता/माता/अवयस्क बच्चों के नाम :-

(1) पता :-

(2) क्षेत्रफल :-

(3) (क) असिचित :-

(ख) सिंचित :-

(4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-

(बिहार सरकार के सिलिंग कानून के अन्तर्गत)

(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)

(5) कल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लाटेशन :-

(1) फसल/फल :-

(2) पता :-

(3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

(1) सम्पत्ति का स्थान :-

(2) सम्पत्ति का विवरण :-

(3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

(झ) आय :-

(1) वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)

(2) क्या कर भुगतान करते हैं ?

(अगर हाँ तो तीन वर्षों का रिटर्न का प्रति प्रस्तुत करें)

(3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं ?

(अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विवरण मेरा जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर

**फॉर्म-XI**  
**स्वयं शपथ—पत्र**  
**क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र हेतु**  
**(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)**  
**पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु**

मैं .....  
 मुझे .....  
 मेरे .....  
 मेरी .....  
 मेरी जीवनी .....  
 मेरी जीवनी का विवर .....  
 मेरी जीवनी का विवर और अधिसूचित वर्ग के रूप में .....  
 मेरी जीवनी का विवर और अधिसूचित वर्ग के रूप में अधीन ग्रुप ए/क्लास-1 के पद पर अथवा पी०एस०य००  
 बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष  
 पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है ।

मेरा नाम .....  
 मेरी जीवनी .....  
 मेरी जीवनी का विवर .....  
 मेरी जीवनी का विवर और अधिसूचित वर्ग के रूप में .....  
 मेरी जीवनी का विवर और अधिसूचित वर्ग के रूप में अधीन ग्रुप ए/क्लास-1 के पद पर अथवा पी०एस०य००  
 बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष  
 पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है ।

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है ;
2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास-1 के पद पर अथवा पी०एस०य००  
 बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष  
 पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है ।
3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से कोई/कोई एक भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन  
 ग्रुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी०एस०य००, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत  
 सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास-2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में रहा हूँ ।
4. मेरे माता/पिता को वेतन से वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है ।
5. मेरे माता/पिता की अन्य स्त्रोत से बिजनेश/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु० ..... (शब्दों में) है ।
6. मैं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने सम्बन्धी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के  
 अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है  
 और मैं पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ । यदि  
 मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के  
 आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई । नियुक्ति  
 निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया  
 है उससे भी बंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली  
 कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी ।

(फार्म-XVIII B)

## अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र (आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र)

मैं.....

पुत्र/पुत्री श्री.....

निवासी, ग्राम/कस्वा/शहर.....पोस्ट .....

थाना ..... प्रखण्ड ..... जिला .....

राज्य ..... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .....

..... समुदाय का/की हूँ, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन

मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक - 08.

09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 360112/22/93 - स्वा० (एस०सी०टी०) में

निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार / बिहार

सरकार द्वारा क्रमशः ओ० बी०सी०/पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य

है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993, एवं 19.3.2017

के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची में कॉलम-3 में उल्लेखनीय

व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ।

फार्म-X

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

# पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु

( बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ )

कार्यालय का नाम : अंचलाधिकारी .....

प्रमाण-पत्र संख्या :- ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.....

पिता/पति श्री.....

माता का नाम .....

ग्राम/पुहल्ला..... पोस्ट ऑफिस..... थाना.....

प्रखण्ड..... अनुमंडल..... जिला..... राज्य बिहार

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण

( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) अधिनियम,

1991 समय-समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग

( अनुसूची-1 )/पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-2 ) के अनुक्रमांक..... पर अंकित एवं

जाति ..... के हैं।

अतः श्री/श्रीमति/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री.....

अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-1 )/पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-2 )

का/की है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग  
के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993-स्था०( एस०सी०टी० ) दिनांक 08.09.1993,  
कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/3/2004- स्था०( आ० ) दिनांक 09.03.2004 एवं कार्यालय  
ज्ञापन संख्या-36033/03/2004-स्था०( आ० ) दिनांक 14.10.2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित/वर्ग  
क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते/आती हैं।

स्थान :

दिनांक :

अंचलाधिकारी